>

Title: Issue regarding fake and illegal prive management and engineering college in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, हाल ही में स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि देश में 336 प्राइवेट मैनेजमैंट और इंजीनियरिंग कॉलेज अवैध हैं। देश के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी निजी संस्थान द्वारा संचालित कॉलेज व संस्थान एआईसीटीई (आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन) की मान्यता के बिना प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा नहीं दे सकते। स्वाभाविक ही इन कॉलेजों से मिली डिग्री और सर्टिफिकेट भी सरकारों द्वारा मान्य नहीं होते। महोदय, यह अत्यंत संवेदनशील विषय है कि इस प्रकार के अवैध कॉलेज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें अनजान अभिभावकों की भारी-भरकम धनराशि देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित ऐसे संस्थानों द्वारा सुविधाओं के सब्जबाग दिखाकर ऐंठ ली गई तथा आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसे संस्थानों से अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को निकाल लेने के बाद भी उनकी धनराशि संस्थानों द्वारा वापिस नहीं दी गई।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे कॉलेजों व संस्थानों को जो एआईसीटीई के मानकों को पूरा नहीं करते तथा जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, अभिभावकों द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि दंड सहित वापिस करवाई जाए तथा साथ ही देश में उच्च शिक्षा तंत्र को लूट तंत्र बनाने से रोकने हेतु प्रभावी कानून बनाए जाएं। मुझे विश्वास है कि सरकार समय रहते इस ओर ध्यान देगी।